समाहरणालय, मधेपुरा।
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

डॉ0 रतनदीप पे0 डॉ0 रमेन्द्र कुमार यादव 'रवि' ग्राम चतरा कोठी वार्ड नं0-16 थाना- मधेपुरा, जिला मधेपुरा ने लिखित रूप में आवेदन बायोडाटा के साथ समर्पित कर सूचित किया है कि इनके नाम से एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-22/2003(मधेपुरा थाना) पर धारित शस्त्र सं0-ए.बी. 06-13949 निर्गत है। इन्होंने अपने आवेदन में अंकित किया है कि मेरे चाचाजी श्री राजेन्द्र कुमार यादव का असामयिक निधन दिनांक 15-09-2013 को हो जाने, शोकाकुल अवस्था में समाचार पत्र नहीं पढ़ सकने के कारण निर्धारित तिथि को शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में विवरणी समर्पित नहीं कर सका। इन्होंने भविष्य में इस तरह का भूल नहीं करने का आश्वासन देते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त करने का निवेदन किया है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 54/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि को अनुज्ञप्तिधारी उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में बायोडाटा समर्पित नहीं करने के कारण शस्त्र नियमावली-1962 की नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत शस्त्र एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-22/2003(मधेपुरा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाव आवेदन प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा में अपना उम्र 47 वर्ष से अधिक अंकित किया है। इनके द्वारा यह कहा जाना कि शोकाकुल रहने के कारण निर्गत आम सूचना समाचार पत्र में नहीं पढ़ सके। जबकि शस्त्र भौतिक सत्यापन की तिथि 04-10-2013, 05-10-2013 एवं छूटे हुए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए 19-10-2013 निर्धारित किया गया था। इनके चाचाजी के देहावसान की तिथि 15-09-2013 है। तत्काल यह मान भी लिया जाय कि 04 एवं 05-10-2013 को शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं करा सके, तो अगली निर्धारित तिथि दिनांक 19-10-2013 को क्यों नहीं सत्यापन कराये। इससे स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी का कथन पूर्णतया मनगढंत, भ्रामक एवं सत्य से पड़े है। इनके अनुज्ञप्ति की छायाप्रति अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके अनुज्ञप्ति सं0-22/2003(मधेपुरा थाना) का नवीकरण वर्ष 2013 तक अनुमंडल दंडाधिकारी, मधेपुरा द्वारा एवं भौतिक सत्यापन कार्यपालक दंडाधिकारी, मधेपुरा द्वारा वर्ष 2011 तक ही किया गया है, जबकि शस्त्र का सत्यापन प्रत्येक वर्ष कराया जाना है। अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति शर्त्तो को पूरा नहीं करते हैं।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा-17 का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-22/2003(मधेपुरा थाना) को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी डॉ0 रतनदीप पे0 डॉ0 रमेन्द्र कुमार यादव 'रवि' ग्राम चतरा कोठी, वार्ड नं0-16, थाना- मधेपुरा, जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं उस पर धारित शस्त्र मधेपुरा थाना मालखाना में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि डॉ0 कुमार चन्द्रदीप द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में " रद्द " प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

Dmeena 12/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 94 /शस्त्र, दिनांक 12-03-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डॉ0 रतनदीप पे0 डॉ0 रमेन्द्र कुमार यादव 'रवि' ग्राम चतरा कोठी, वार्ड नं0-16, थाना- मधेपुरा, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Dmeena 12/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।